न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13 / 2019 प्रार्थना पत्र

1. सुधांशु मिश्रा पुत्र नगेन्द्र मिश्रा (मैनेजर) मैसर्स परिश्रेया ऐलीगेन्सी – पॉम रिसोर्ट, हरणी कलां, मंगरोप रोड, भीलवाडा 2. अमित सुराणा पुत्र सुरेन्द्र सुराणा मालिक मैसर्स परिश्रेया ऐलीगेन्सी – पॉम रिसोर्ट, हरणी कलां, मंगरोप रोड, भीलवाडा 3. मैसर्स परिश्रेया ऐलीगेन्सी – पॉम रिसोर्ट, हरणी कलां, मंगरोप रोड, भीलवाडा	बनाम	1. सरकार जरिये आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
–प्रार्थीगण		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र विरूद्व प्रकरण सं. 36 / 2018 खा. सुरक्षा निर्णय दिनांक 22.04.2019

उपस्थित –
1. श्री राजेन्द्र जैन अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. विपक्षी की ओर से विभागीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 10-10.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुये, जिससे प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके एवं प्रकरण में वास्तविकता प्रकट नही हो सकी। प्रकरण की मूल पत्रावली में कार्यवाही संबंधी दस्तावेज में किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही है तथा जिस बाबूलाल पायक को गवाह बनाया गया हैं, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में कार्यरत है। मामले में जानबूझकर स्वतंत्र गवाह को संयोजित नही किया गया है। अभियोजन द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही में फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की हैं। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय निर्णय को अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2019 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थीगण के प्रतिनिधि ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 05 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुये, जिससे प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके एवं प्रकरण में वास्तविकता प्रकट नही हो सकी। प्रकरण की मूल पत्रावली में कार्यवाही संबंधी दस्तावेज में किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही है तथा जिस बाबूलाल पायक को गवाह बनाया गया हैं, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में कार्यरत है। मामले में जानबूझकर स्वतंत्र गवाह को संयोजित

नही किया गया है। अभियोजन द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही में फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की हैं। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय निर्णय को अपास्त किया जावे।

विपक्षी पेरोकार ने बहस में बताया कि मूल प्रकरण सं. 36/2018 में प्रार्थी विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 के सम्मन नोटिस पाम रिसोर्ट के कर्मचारी ने दिनांक 12.11.2018 को प्राप्त कर होटल की मोहर लगाकर प्राप्ति रसीद दी है जो बाद तामील होकर पत्रावली में संलग्न हैं। इससे स्पष्ट हैं कि मूल प्रकरण में विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 को कोर्ट तारीख पेशी जानकारी में थी। लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 सुधाशुं मिश्रा जो कि होटल के कर्मचारी हैं के हस्ताक्षर हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 36/2018 में बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 22.04.2019 को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये वह प्रकरण में जारी सम्मन के विधिवत तामील होने से एवं लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 जो कि होटल के कर्मचारी हैं, के हस्ताक्षर होने से प्रकरण मे पुनः सुनवायी की जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में सुंनवाई का कोई आधार नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 36/2018 निर्णय दिनांक 22.04.2019 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना पत्र में बिना प्रार्थीगण को सुने ही निर्णय पारित किया जाना अंकित किया हैं। जबकि इस न्यायालय के खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 36/2018 निर्णय दिनांक 22.04.2019 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये वह प्रकरण में जारी सम्मन के विधिवत तामील होने से एवं लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 जो कि होटल के कर्मचारी हैं के हस्ताक्षर होने से प्रकरण मे पुनः सुनवायी की जाना विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10-10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)